

समाहरणालय, खगडिया

(मद्य निषेध शाखा)

बिहार मद्य-निषेध एवं उत्पाद अधिनियम-2016 के तहत राज्यसात किये गये वाहनों की निलामी की आम सूचना (सं० -01/2021-22)


एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जैसे वाहन जिन्हें मद्य-निषेध एवं उत्पाद अधिनियम-2016 की धारा-58 के तहत मद्य निषेध विभाग एवं थाना द्वारा जप्त किया तथा समाहर्ता-सह-जिला दंडाधिकारी, खगडिया द्वारा राज्यसात किया गया है, की जंग लग कर खराब होने, क्षरण होने से राष्ट्रीय क्षति की संभावना है। ऐसे निम्नलिखित वाहन, जो जिला के विभिन्न थाना/उत्पाद मालखाना में संचित हैं, की "जहाँ है जैसा है" के आधार पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा समाहरणालय सभा कक्ष में दिनांक-08.07..2021 को 11:00 बजे पूर्वाह्न में निलामी की जाएगी। वाहनों का विवरण निम्न तालिका में अंकित है-

क्र०	वाहन का प्रकार	वाहन निबंधन संख्या	अधिहरण वाद संख्या	न्यूनतम निर्धारित मूल्य	रक्षित मूल्य	संचय स्थल	निर्धारित तिथि
1.	मोटरसाइकिल	BR09J-3914	80/18-19	10000	1000	अलौली थाना	
2.	मोटर सायकिल	BR34A-9949	01/16-17	12000	1200	खगडिया थाना	
3.	मोटर सायकिल	chechis-OIL20F26480	121/17-18	3000	300	खगडिया थाना	
4.	मोटर सायकिल	chechis-MELRG4516H0013533	135/17-18	15000	1500	खगडिया थाना	
5.	सुजुकी कार	BR09R-9398	39/18-19	25000	2500	खगडिया थाना	
6.	हुंडई सैंट्रो	WB02P-8762	39/18-19	55000	5500	खगडिया थाना	
7.	मोटर सायकिल	BR34K-0192	102/17-18	13000	1300	खगडिया थाना	
8.	इंडिका	DL3CAX-5134	02/17-18	60000	6000	खगडिया थाना	
9.	टेम्पो	BR34P-2844	24/17-18	110000	11000	चौथम थाना	
10.	मोटर सायकिल	BR34-0622	365/18-19	7000	700	चौथम थाना	
11.	नाव	नाव	439/18-19	15000	1500	परबता थाना	
12.	सुमो विकटा	WB34Q-0337	003/18-19	80000	8000	महेशखूंट थाना	
13.	रिक्शा	OLD	79/18-19	10000	1000	महेशखूंट थाना	
14.	बोलेरो पिकअप	BR19B-4699	10/18-19	215000	21500	महेशखूंट थाना	
15.	मैजिक वैन	BR11L-6513	457/19-20	70000	7000	महेशखूंट थाना	
16.	स्विफ्ट डिजायर	chechis-MA3EJKDIS00885105XAG	82/17-18	275000	27500	मानसी थाना	
17.	टेम्पो	chechis-MCS3EAP21KAA11481	91/18-19	115000	11500	मानसी थाना	
18.	ई-रिक्शा	OLD	30/18-19	15000	1500	मानसी थाना	
19.	बोलेरो	JH 18A-2285	90/18-19	210000	21000	मानसी थाना	
20.	ई-रिक्शा	NOT AVAILABLE	157/17-18	20000	2000	मोरकाही थाना	
21.	टिएगो कार	BR 10AE 2131	392/19-20	221000	22100	पसराहा थाना	
22.	हुंडई सैंट्रो कार	WB 02N 9015	338/19-20	45000	4500	महेशखूंट थाना	
23.	चारपहिया वाहन	BR 01 AN 8093	309/19-20	34000	3400	खगडिया थाना	08.07..2020
24.	स्कूटी	BR 34 M 5400	309/19-20	21000	2100	खगडिया थाना	
25.	पिकअप	BR 11 GA 2393	224/19-20	75000	7500	बेलदौर थाना	
26.	टाटा टिएगो	WB 26 R 1248	57/19-20	48000	4800	गोगरी थाना	
27.	हुंडई कार	BR 09 Z 8287	62/19-20	421000	42100	पसराहा थाना	
28.	मोटर सायकिल	ENG. No. -GAQ 6406	62/19-20	18000	1800	पसराहा थाना	
29.	मारुती कार	BR 09X 9406	61/19-20	225000	22500	मानसी थाना	
30.	मोटर सायकिल	BR 34 K 5536	373/18-19	12000	1200	चत्रगुत्नगर थाना	
31.	मोटर सायकिल	BR 34M 3489	351/19-20	24000	2400	खगडिया थाना	
32.	ट्रक	HR 68 -7204	301/19-20	471000	47100	पसराहा थाना	
33.	ट्रेक्टर	BR 34 A 5210	301/19-20	135000	13500	पसराहा थाना	
34.	ट्रेक्टर	BR34 G 7592	301/19-20	135000	13500	पसराहा थाना	
35.	मोटर सायकिल	BR 34 B 7223	301/19-20	14000	1400	पसराहा थाना	
36.	स्कोर्पियो	BR 34 P 5478	36/20-21	491000	49100	चौथम थाना	
37.	टेम्पो	BR 34 P 3806	298/19-20	28000	2800	पसराहा थाना	
38.	स्कोर्पियो	BR 34 P 5464	382/19-20	695000	69500	महेशखूंट थाना	
39.	स्कोर्पियो	BR 34 P 4393	403 A/19-20	465000	46500	उत्पाद थाना	
40.	मोटर सायकिल	BR 01 B 0412	396/19-20	13000	1300	परबता थाना	
41.	मोटर सायकिल	BR 10 A 7317	396/19-20	16000	1600	परबता थाना	
42.	टेम्पो	ENG. No. -ABH 1225045	299/19-20	35000	3500	पसराहा थाना	
43.	कार	DL 2 FFE 0055	297/19-20	41000	4100	पसराहा थाना	

44	मोटर सायकिल	Chechis no. -06H 160 1611	115/18-19	17000	1700	बेलदौर थाना
45	टोयोटा क्वालिस	DL 9CG 4614	452/18-19	71000	7100	बेलदौर थाना
46	मोटर सायकिल	BR 34 H 3902	452/18-19	15000	1500	बेलदौर थाना
47	टेम्पो	BR 34 P 2673	02/16-17	15000	1500	खगड़िया थाना
48	कार	BR 53 B 4554	08/17-18	35000	3500	खगड़िया थाना

निलामी में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति निर्धारित स्थल, तिथि एवं समय पर उपस्थित होकर निलामी प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। निलामी हेतु निम्न शर्तें निर्धारित की जाती हैं—

- कोई भी इच्छुक व्यक्ति सूचीबद्ध सभी वाहनों के लिए आवेदन कर सकेंगे। परन्तु सभी वाहनों के लिए अलग-अलग आवेदन तथा सुरक्षित जमा की राशि आवेदक को जमा करनी होगी।
 - न्यूनतम निर्धारित मूल्य (MFP) से कम की बोली लगाने की अनुमति नहीं होगी।
 - वाहनों की निलामी की प्रक्रिया बारी-बारी से की जाएगी अर्थात् एक वाहन की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत ही दूसरे वाहन की निलामी की जाएगी।
 - निलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को वाहन के न्यूनतम मूल्य का 10 प्रतिशत सुरक्षित राशि जमा करने के पश्चात् ही निलामी की प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। प्रति वाहन अलग-अलग सुरक्षित राशि को बैंक ड्राफ्ट अथवा नजीर रसीद के द्वारा निलामी की तिथि के पूर्व जमा करना होगा। निलामी के असफल व्यक्तियों को निलामी की प्रक्रिया खत्म होने के पश्चात् सुरक्षित जमा राशि वापस कर दिया जाएगा।
 - आवेदन सीधे कार्यालय में निलामी की तिथि से पूर्व कार्य दिवस तक सुरक्षित राशि के साथ जमा किये जा सकते हैं। आवेदन का प्रपत्र जिला के वेबसाइट khagaria.nic.in से डाउनलोड कर वांछित दस्तावेजों के साथ ऑनलाईन आवेदन Email ID-khagaria-excise@nic.in पर भी निलामी की तिथि से पूर्व कार्य दिवस तक प्रेषित किया जा सकता है। ऑनलाईन आवेदन की स्थिति में सुरक्षित राशि का बैंक ड्राफ्ट निलामी की तिथि से एक दिन पूर्व अवश्य ही कार्यालय में जमा कर दिया जायगा अन्यथा उनका आवेदन निरस्त करते हुए शेष आवेदकों के साथ निलामी की प्रक्रिया पूर्ण कर दी जाएगी।
 - निलामी की प्रक्रिया में सफल व्यक्ति को वाहन प्राप्त करने के लिए पुलिस अधीक्षक स्तर के पदाधिकारी द्वारा निर्गत आचरण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। साथ ही आधार कार्ड एवं पैन कार्ड मूल रूप में प्रस्तुत करना होगा।
 - निलामी के दौरान उच्चतम बोली लगाने वाले व्यक्ति को उसी समय बोली की राशि एक ही किस्त में नगद जमा करनी होगी। इसमें विफल होने पर द्वितीय/अगले उच्चतम बोली वाले व्यक्ति को सफल अंतिम व्यक्ति माना जाएगा।
 - निलामी में सफल क्रेता को नियमानुकूल सभी देय करो / अन्य सभी प्रकार की देय राशियों का भुगतान करना होगा। निलामीकर्ता किसी भी भुगतान हेतु उत्तरदायी नहीं होगा।
 - उच्चतम बोली लगाने वाले व्यक्ति के द्वारा राशि एकमुश्त जमा करने में विफल होने की स्थिति में उनके सुरक्षित राशि को जप्त कर ली जाएगी। इसके निर्णय हेतु निलामीकर्ता का निर्णय अंतिम होगा।
 - यह माना जाएगा कि भाग लेने वाले व्यक्ति के द्वारा निलामी से पहले वाहन का पूर्ण निरीक्षण कर संतुष्ट हो लिया गया है। वाहन सौंप देने के उपरांत निलामीकर्ता वाहन संबंधी किसी भी प्रकार के दोष अथवा शिकायत के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
 - निलामी की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के नियोजित/सरकारी कर्मी भाग नहीं लेगे।
 - सफल बोलीदाता को अपने प्रयोजन के लिए वाहन प्राप्त कर लेने पर नियमों के अनुसार अपनी लागत और जिम्मेदारी पर अपने नाम पर वाहन हस्तांतरित कराना होगा। निलामीकर्ता वाहनों के पंजीकरण के लिए किसी भी तरह से संबंधित या जिम्मेदार नहीं होगा, और सफल व्यक्ति को वाहन सौंपने के उपरांत इसके किसी भी बिन्दु के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
 - अपने विवेक से बिना कारण बताए किसी भी समय निलामी की प्रक्रिया रोकने/किसी वाहन अथवा सभी वाहनों की बोली को स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने का निर्णय निलामीकर्ता सुरक्षित रखता है, तथा यह निर्णय अंतिम होगा।
 - संबंधित वाहन के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय अथवा अन्य सक्षम न्यायालय से प्राप्त किसी आदेश की सूचना निलामी की निर्धारित तिथि से पूर्व दिवस तक विधि प्रशाखा, समारणालय, खगड़िया / कार्यालय, अधीक्षक मद्य निषेध, खगड़िया को दे दिए जाने पर ही उसकी निलामी रोकने से सम्बन्धित आवश्यक निर्णय लिया जा सकेगा। निलामी की तिथि अथवा उसके पश्चात् प्राप्त कोई भी दावा अमान्य होगा तथा उस पर कोई भी विचार नहीं किया जाएगा।
- किसी भी कार्य दिवस में वाहन का भौतिक अवलोकन संबंधित संघय स्थल में किया जा सकता है, तथा विस्तृत जानकारी हेतु अधीक्षक, मद्य निषेध, खगड़िया के कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है अथवा khagaria.nic.in पर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।


 समाहर्ता-सह-जिला दंडाधिकारी,
 खगड़िया।

ज्ञापांक 259 /म० नि० ,खगडिया , दिनांक 22.06.21

- प्रतिलिपि:- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खगडिया को सूचनार्थ एवं वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित ।
प्रतिलिपि:- जिला नजारत उप समाहर्ता, खगडिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
प्रतिलिपि:- जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, खगडिया को सूचनार्थ एवं विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित ।
प्रतिलिपि:- आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित ।


समाहर्ता-सह-जिला दंडाधिकारी,
खगडिया ।